



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

निगरानी - 4622/2018/निगरानी/2018

गीता देवी पत्नी गयादीन साहू
निवासी ग्राम निवास कृषक ग्राम हर्दी
तहसील सरई जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदिका

श्री. ~~दिलीप साहू~~ का
द्वारा आज दि. 16-7-18
प्रस्तुत। प्राथमिक चर्चा के
दिनांक 10-8-18

विरुद्ध

न्याय
मंडल के ऑफिस
राजस्व मण्डल, 16/7/18

1. दिनेश प्रसाद पुत्र दलवीर साहू
2. रमेश प्रसाद पुत्र दलवीर साहू
3. लखन प्रसाद पुत्र दलवीर साहू
तीनों निवासीगण ग्राम हर्दी तह. सरई जिला
सिंगरौली (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली

.... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र.कं.
259/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25.9.17 के
विरुद्ध म.प्र. म. राजस्व संहिता 12959 की धारा 50 के अंतर्गत

(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4622/18/सिं०/भूरा,

अतिरिक्त दिनांक 19/12/18

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>27-12-18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>धुवेंद्र माणिक</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिं०/सि०</u> के प्रकरण क्रमांक <u>259/नि०/10-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>25/09/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	